

प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया है किरेजनल कॉले ज ऑफ राष्ट्रकेशन
ग्राम रुदावां चाना-बजीरांज-झापड़े द्वारा अग्निशामक गया में जाँच हेतु प्रस्तुत
किया गया पोर्टेबल अग्निशामक यंत्रों की जाँच की गई। जाँचोपरान्त सभी पोर्टेबल
अग्निशामक यंत्रों को क्रियाशील पाया गया।

जाँच किये गये सभी पोर्टेबल अग्निशामक यंत्ररक्कर्फ के लिए
उपयोगी एवं क्रियाशील हैं।

सलाह दी जाती है कि व्यवस्थापक :-

1. पोर्टेबल अग्निशामक यंत्रों को पूरे वर्ष भर उचित तकनीकी संधारण करेंगे जिससे उनमें क्रियाशीलता बनी रहे। संधारण की कमी के कारण यंत्रों की क्रियाशीलता प्रभावित हो सकती है जिसकी जिम्मेवारी व्यवस्थापक की होगी।
2. एन0बी0सी0पार्ट-IV फायर एण्ड लाईफ सेफटी के अनुरूप अन्य व्यवस्था आवश्यकतानुसार सुनिश्चित कर लेंगे।
3. कार्यरत शिक्षकों एवं कर्मियों को अग्निशासक यंत्रों की संचालन विधि से अवगत करा देंगे जिससे आग को प्रथम अवस्था में ही शमन किया जा सके।
4. अग्नि-सुरक्षा टीम का गठन कर वर्ष में कम से कम दो बार मौक ड्रील करायेंगे।
5. वर्ष में एक बार सभी पोर्टेबल अग्निशासक यंत्रों का निरीक्षण इस कार्यालय से कराना सुनिश्चित करेंगे।

*H98C
18/5/2016*
अग्निशामकालय पदाधिकारी
FIRE STATION OFFICER
GAYA

पत्रांक २५३ / नि० । २०१६ / गया, दिनांक १८/५/२०१६
कार्यालय अग्निशामकालय पदाधिकारी, गया।

प्रति:- रेजनल कॉले ज ऑफ राष्ट्रकेशन ग्राम रुदावां चाना-बजीरांज
सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ ।

*H98C
18/5/2016*
अग्निशामकालय पदाधिकारी
FIRE STATION OFFICER
GAYA



कार्यालय जिला शिक्षा पदाधिकारी, बिहार

पत्रांक ...४८० /
दिनांक ...११.०३ अक्टूबर, २०१७ ई०

फोन नं० :- ०८५४४४११२९३
फैक्स नं० :- ०६३१-२२२१३१
ई-मेल :- E-mail deogaya.edn@gmail.com

प्रेषक,

ठाकुर मनोरंजन प्रसाद,
जिला शिक्षा पदाधिकारी,
गया।

सेवा में,

सचिव,
प्रा० रिजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन,
गया।

विषय :- बी०एड० / डी०एल०एड० कॉलेज संचालित कराने के संबंध में।
महाशय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक के आलोक में कार्यक्रम पदाधिकारी प्राथमिक शिक्षा एवं सर्व शिक्षा अभियान, बिहार शिक्षा परियोजना, गया के द्वारा विद्यालय का स्थलीय जाँच की गयी, उनके जाँच प्रतिवेदन के आधार पर यह भवन केवल बी०एड० / डी०एल०एड० कॉलेज के लिये बना है। इस भवन में कोई अन्य संस्था संचालित नहीं है।

सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

विश्वासमाजन

जिला शिक्षा पदाधिकारी,
गया।



MAGADH UNIVERSITY, BODHGAYA

Ref.....GIIIA/110/17

Dated 17/03/2017


Renewal of issued 'NO OBJECTION CERTIFICATE'

of M.U. letter no GIIIA/124/15 Dated 26/05/2015

As the Affiliating Body, this University has 'NO OBJECTION' for starting the course of B.Ed. in the proposed Institute **REGIONAL COLLEGE OF EDUCATION, Gaya (Bihar)** and the course/programme recognized by ERC of N.C.T.E. subject to fulfillment of the conditions for affiliation of the this University.


Such affiliation will ensure adoption of the Programme-Curriculum prescribed by the N.C.T.E., conduct of examinations and award of Degrees. The University will also participate in the faculty recruitment process and certify the approved faculty list, When the N.C.T.E. shall initiate the process of recognition.

As the Affiliating Body, the University will also monitor the functioning of the Institution to ensure its adherence to the Norms and Standard prescribed by N.C.T.E. and observance of our conditions of affiliation.


17/03/17
Registrar

Magadh University, Bodh-Gaya

Registrar
Magadh University
Bodh Gaya - 824 234
Bihar, India

Date

17/03/17

द्वितीय

पत्रांक दी० दी० क्र० 442 / 16
बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, पटना

प्रेषक,

सचिव,
बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, पटना

सेवा में,
सचिव / प्राचार्य,
रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन इटबा, गया
(गया)

पटना, दिनांक 25/05/2016

विषय: डी०एल०एड० प्रशिक्षण चलाने हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) के संबंध में ।

महाशय / महाशया,

उपर्युक्त विषय के परिपेक्ष्य में सूचित करना है कि राष्ट्रीय अध्यापक परिषद, नई दिल्ली द्वारा जारी गजटीय अधिसूचना दिनांक 28.11.2014 की कंडिका-5 की उपकंडिका-3 के प्रावधानों के अन्तर्गत रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन इटबा, गया को NCTE के शर्तों व प्रावधानों के अन्तर्गत प्रशिक्षण महाविद्यालय को D.E.L.E.D पाठ्यक्रम संचालन करने हेतु पूर्ण मान्यता प्राप्त होने पर संबंद्धता प्रदान करने में बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, पटना को कोई आपत्ति नहीं है । संबंद्धता देने के पूर्व इस महाविद्यालय का भौतिक निरीक्षण भी कराया जाएगा ।

दिश्वासभाजन

अमृत
सचिव

१९/५/१६

बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, पटना

१९/५/१६